

राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डलिविरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का होगा गठन

चर्चा में क्यों?

1 अक्टूबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिये राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डलिविरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का गठन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बटु

- हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ नरिणय कर रही है। इसी क्रम में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिये राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डलिविरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का गठन कया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस सरकारी कंपनी के गठन से प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों से कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी, जिससे कार्मिकों को शोषण से मुक्ति मिलेगी।
- रेकसको की तर्ज पर गठित होने वाली आरएलएसडीसी कंपनी से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से राजकीय वभिगों एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों में नयुक्त कये जाने वाले कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
- नई कंपनी के माध्यम से कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण एवं चयन पारदर्शी तरीके से कया जाएगा तथा उन्हें बना अनावश्यक कटौती के उचित पारश्रमिक मिल सकेगा। प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होने से कार्यों में अधिक गति आएगी।
- मंत्रिमंडल के नरिणय से एक जनवरी, 2021 से पूर्व के कार्यरत कर्मियों को आरएलएसडीसी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगा।
- आरएलएसडीसी कंपनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत शत-प्रतिशत राज्य सरकार के स्वामित्व की कंपनी होगी।
- प्रशासनिक सुधार वभिग के अधीन स्थापित इस कंपनी के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचवि, प्रशासनिक सुधार वभिग होंगे। साथ ही कार्मिक वभिग के प्रमुख शासन सचवि, सामान्य प्रशासन वभिग व श्रम वभिग के प्रमुख शासन सचवि/शासन सचवि, वित्त वयय वभिग के शासन सचवि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी नधि वभिग के नदिशक और राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्तिसदस्य के रूप में कार्य करेंगे।